

28-5-20 पत्रावली पेश हुई। वकील

पक्षकासन उप. P.O. साहब

दौरे/अवकाश पर पधार है।

अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार

दिनांक...16-7-20 को पेश हो

16-7-20 पत्रावली पेश हुई। वकील

पक्षकासन उप. P.O. साहब

दौरे/अवकाश पर पधार है।

अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार

दिनांक...24-7-20 को पेश हो

24-7-20 पत्रावली पेश हुई। वकील

पक्षकासन उप. P.O. साहब

दौरे/अवकाश पर पधार है।

अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार

दिनांक...2-8-20 को पेश हो

7-8-20 पत्रावली पेश हुई। वकील

पक्षकासन उप. P.O. साहब

दौरे/अवकाश पर पधार है।

अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार

दिनांक...4-9-20 को पेश हो

4-9-20 पत्रावली पेश हुई। वकील

पक्षकासन उप. P.O. साहब

दौरे/अवकाश पर पधार है।

अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार

दिनांक...18-9-20 को पेश हो

8-9-20 वकील पार्टी द्वारा प्रार्थना-पत्र को

वापिस उठाने की अनुमति दिये जाने

बाबत प्रार्थना-पत्र पेश करने पर

पत्रावली तालब की गयी वकील पार्टी

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार पार्टी

जि. 2/8/20

2/11/20

From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

विजेन्द्र सिंह

बनाम


बोद्धु सिंह

रूम मुकदमा :- 251 (A) R.T.A. 4

नंबर ...29 वर्ष 2018

वारीख हुबम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व वारीख अहकाम जो इस हुबम की तामील में जारी हुए
	प्रकरण को वापिस उठाना चाहता है। तद- सील रूपनगढ़ से रिपोर्ट आ चुकी है जिसका नेक्शा संलग्न है। नेक्शे में रूपनगढ़ से तिल्यारी जाने वाली डाक्टर बोड़व पार्सी के खेत में जाने वाले निकटतम रास्ता दशरथ सिंह के खेत में होकर बताया गया है। दशरथ सिंह व उनके पुत्र भागी रथ सिंह में हुई वातानुसार उन्होंने अपने खेत में से पार्सी के खेत तक जाने वाले रास्ता देना स्वी- कार कर लिया है। अतः पार्सी को नये तय्यों के आधार पर प्रकरण पेश करना पड़े तो पार्सी को प्रकरण उठाने व नया प्रकरण पेश करने की अनुमति प्रदान करे। हमें वकील पार्टी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील पार्टी को सुना गया। इसके पार्सी द्वारा प्रकरण को वापिस उठाने एवं नये तय्यों के साथ प्रकरण पेश करने की अनुमति वाली गयी है। पार्सी की पटघान वकील पार्टी द्वारा की गयी। अतः प्रकरण को वापिस उठाने एवं नये तय्यों के साथ नया प्रकरण पेश करने की अनुमति दी जाती है।	

पत्रावली फेंसल सुभार होकर नम्बर में
कम हो


अधिका
कानपुर (अजमेर)

अधिकारी
कानपुर (अ) 128

कानपुर (अ) 128
कानपुर (अ) 128
कानपुर (अ) 128
कानपुर (अ) 128
कानपुर (अ) 128
कानपुर (अ) 128